निर्णय बइजलास श्री दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस.
उप खण्ड अधिकारी बारां जिला बारां राज्य [illegible]

प्रकरण सं.- 20/2018 प्रा. पत्र
दायरा दिनांक :- 16.3.2018
निर्णय दिनांक :- 30.6.2022

आवेदक

1- कन्याबाई पत्नी हरिवल्लभ पुत्री जगन्नाथ जाति बैरवा नि. नापाहेड़ा सुल्तानपुर जिला कोटा
2- सुशीला बाई पत्नी नारायण पुत्री जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी खेड़ी श्यामपुरा तह. बारां

बनाम

जगन्नाथ पुत्र भैरुलाल जाति बैरवा निवासी खेड़ी श्यामपुरा तह. बारां जिला बारां

प्रार्थना पत्र धारा 212 RTA
निर्णय दिनांक :- 30.6.22

अभिभावक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध अप्रार्थी गण के नाम: से इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम हरिपुरा तह. बारां में अप्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी ख.नं. 394/474 रकबा 1.60 हे. भूमि स्थित है जिसे प्रार्थी गण का [illegible] एक [illegible] [illegible] है अप्रार्थी वृद्ध एवं असहाय है तथा प्राय: बीमार रहता है अप्रार्थी उक्त आराजी की देखभाल एवं व्यवस्था तथा स्वयं अप्रार्थी की देखरेख दवा दारू आदि की व्यवस्था प्रार्थीगण ही करती है क्योंकि अप्रार्थी के प्रार्थीगण के अलावा अन्य कोई [illegible] वारिस एवं उत्तराधिकारी नहीं है अप्रार्थी की पत्नी का स्वर्गवास काफी समय पूर्व हो चुका है, अप्रार्थी की वृद्धावस्था एवं मानसिक स्थिति का फायदा उठा कर उनके रिश्तेदार उक्त आराजी को हड़पना चाहते है। इसी निमित्त से अप्रार्थी के रिश्तेदारान द्वारा प्रार्थिया गण के विरुद्ध षड्यन्त्र रचा जा रहा [illegible] जाति ज्ञान में लेकर उक्त आराजी को खुर्द बुर्द [illegible] कुछ दिन पूर्व भी अप्रार्थी को बहका फुसला [illegible] आराजी ख.नं. [illegible] प्रार्थना पत्र को रहन बेचान करने का असफल प्रयास किया [illegible] इनका

उपखण्ड अधिकारी
बारां

लगातार - 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:30:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मिलने पर बाउखिलत प्रार्थीया गण द्वारा उक्त आराजी को खुर्द बुर्द करने से रोका। यदि अप्रार्थी उक्त आराजी को खुर्द बुर्द रहन बेचान करने में सफल हो गया तो प्रार्थीया गण अपने विधिक एवं सांपत्तिक अधिकारों से महरूम हो जावेगी तथा अनावश्यक लम्बी खर्चीली मुकदमे बाजी में उलझना पड़ेगा जिससे उन्हें भारी अपूरणीय क्षति होगी प्रार्थीयागण ना केवल दावा अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारणी है। प्रार्थीया गण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ठोस तथ्यों पर आधारित है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया गण के पक्ष में है। प्रार्थीया गण द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीया गण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस समन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थीया गण द्वारा कथन पक्ष के समर्थन में साथ जमाबन्दी ग्राम हरीपुरा सम्वत 2070-73 खाता नं. 66, नकल नक्शा ट्रेस, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2070 पेश की गयी।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाकै ग्राम खेरी प्रतापपुरा में स्थित है जो अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है अप्रार्थी की उम्र लगभग 73 वर्ष की है जो प्रायः बीमार अवस्था में रहता है। जिसकी देखभाल स्वयं प्रार्थीया करती है अप्रार्थी के खातेदारी की आराजी में प्रार्थीया गण का हिस्सा निहित है अप्रार्थी गण के खिलाफ अप्रार्थी को लालच दे लेकर अप्रार्थी के खाते की आराजी को खुर्द बुर्द करवाना चाहते है यदि अप्रार्थी उक्त आराजी को खुर्द बुर्द रहन बेचान करने में सफल हो गया तो प्रार्थीया गण को अपूरणीय क्षति होगी प्रार्थीया गण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नाजायज बाद अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया गण सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खेरी प्रतापपुरा सम्वत 207[illegible] के अनुसार जगनाथ पुत्र भैरूलाल जाति बैरवा के खातेदारी [illegible] इससे यह जाहिर होता है कि विवादित आराजी अप्रार्थी [illegible] अप्रार्थी के एक मात्र की सन्तान है जो प्रार्थीया गण ही [illegible] के कोई लड़का नहीं है

लगातार - 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:30:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

प्रार्थीया श्री अप्रार्थी की एक मात्र वारिस है प्रार्थीया गण अपने पिता की सम्पत्ति में अपना हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है प्रार्थीया की माता का स्वर्गवास हो गया है अप्रार्थी की देख रेख अनेक सेवा करने वाली एक मात्र छोटी बेटिया है अप्रार्थी अपने हिस्से की एवं खाते की आराजी को रहन बेचान एवं खुर्द बुर्द करने पर आमादा है यदि अप्रार्थी द्वारा भूमि का रहन बेचान एवं खुर्द बुर्द कर दिया तो प्रार्थीया गण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थीया गण अपने पिता की भूमि में अपना हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है प्रार्थीया गण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया गण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है पक्षकारान को ताफैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खेड़ी श्यामपुरा तह० बारां के ख-नं. 594/474 रकबा 1.60 हे० को रहन बेचान व खुर्द बुर्द नहीं करेगा यथास्थिति बनाये रखेगा।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(रिवांशु शर्मा)
RAS
उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:30:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner